बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक– पी0पी0एम0–86 / 2016– 2083 / कृ0, पटना दिनांक 19/5/ 2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित #द्वारा वित्त विभाग।

विषय बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी को वर्ष 2017–18 में जैविक उत्पादन प्रमाणन कार्य करने हेतु सहायक अनुदान मद में 214.43 लाख (दो करोड़ चौदह लाख तेतालीस हजार) रूपये निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–551 दिनांक 03.02.2017 द्वारा बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी को जैविक उत्पादन प्रमाणन कार्य करने एवं इसके स्थापना मद में 18 (अठारह) अतिरिक्त पदों के सृजन तथा इसके लिए वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक कुल 719.71448 लाख (सात करोड़ उनीस लाख इकहत्तर हजार चार सौ अड़तालीस) रूपये सहायक अनुदान मद में प्राप्त स्वीकृति के अधीन वर्ष 2017–18 में एजेन्सी को 214.43 लाख (दो करोड़ चौदह लाख तेतालीस हजार) रूपये निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उत्पाद जैविक होने का प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु एजेन्सी को एपीडा (Agricultural & Processed Food Product Export Development Authority) से एजेन्सी को एक्रीडेटेड होना आवश्यक है। एपीडा के अनुसार एजेन्सी के स्वतंत्र इकाई / एजेन्सी होने पर ही एक्रीडेटेशन दिये जाने का प्रावधान है। बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी एवं बिहार राज्य जैविक प्रमाणन एजेन्सी के अलग–अलग एजेन्सी के रूप में गठन होने से अनावश्यक वित्तीय बोझ बढेगा। इसलिए दोनों कार्यों के लिए एक एजेन्सी रखने का निर्णय लिया गया है।

3. बिहार मे बीज प्रमाणन कार्य पूर्ववत चलता रहेगा परंतु जैविक प्रमाणन कार्यों के लिए एजेन्सी को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इसका मुख्य दायित्व प्रमाणित बीज का उत्पादन, क्षेत्र का निबंधन करना एवं बीज उत्पादन में मानक गुणवत्ता को लागू करना है। साथ ही साथ यह एजेन्सी बिहार में जैविक उत्पादन क्षेत्र का निबंधन तथा मानक गुणवत्ता लागू कराते हुए जैविक प्रमाणन का कार्य भी करेगी। जैविक प्रमाणन के क्षेत्र में एजेन्सी को सुदृढ़ीकरण करने हेतु 4 वर्षों के लिए जैविक प्रमाणन का लक्ष्य निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है :–

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	जैविक प्रमाणन का लक्ष्य (है0 में)
1.	2016–2017	2000.00
2.	2017–2018	4000.00
3.	2018–2019	7000.00
4.	2019–2020	10000.00

E:\ABHINAV\2017-18\Seed Certification Agency (Organic).docx

4. बिहार राज्य बीज उत्पादन प्रमाणन एजेन्सी अंतर्गत जैविक प्रमाणन एजेन्सी के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण कार्यो के लिए 4 वर्षो के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में जैविक प्रमाणन क्षेत्र का रकवा तथा इसमें होने वाले व्यय का आकलन किया गया है। एजेन्सी द्वारा इन वर्षों में जैविक प्रमाणीकरण से सम्भावित आय का भी आकलन किया गया है। एजेन्सी द्वारा जैविक प्रमाणीकरण के लिए आकलन की गई आय एवं व्यय का विवरण अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

5. एजेन्सी में जैविक कार्यों के लिए वर्ष 2016–17 में सृजित किये गये पदों के विरूद्ध वर्ष 2017–18 में वेतनादि मद में तथा गैर स्थापना मद में स्वीकृत राशि के अन्दर व्यय किया जायेगा।

6. योजना कार्यान्वियन में आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग द्वारा यथा आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

7. वितीय वर्ष 2017–18 में स्थापना मद में सृजित पदों के विरूद्ध वेतनादि मद की निकासी हेतु बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है:– (राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष–2401, फसल कृषि कर्म, मांग संख्या– 01, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103–बीज, उपशीर्ष–0109–बीज गुणन फार्मो का विस्तार खेती पर व्यय, विपत्र कोड– 01–2401001030109, विषय शीर्ष– 0109.31.04 सहायक अनुदान वेतन	331.50	64.51
मुख्य शीर्ष–2401, फसल कृषि कर्म, मांग संख्या–01, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना,उपशीर्ष–0117 बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड– 01–2401007890117, विषय शीर्ष–0117.31.04 सहायक अनुदान वेतन	64.00	12.44
मुख्य शीर्ष–2401, फसल कृषि कर्म, मांग संख्या–01, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–0140–बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड– 01–2401007960140, विषय शीर्ष–0140.31.04 सहायक अनुदान वेतन	4.00	0.78
योग	**399.50**	**77.73**

8. वितीय वर्ष 2017–18 में गैर स्थापना मद में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है:– (राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष–2401, फसल कृषि कर्म, मांग संख्या–01, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103–बीज, उपशीर्ष–0109–बीज गुणन फार्मो का विस्तार खेती पर व्यय, विपत्रकोड–01–2401001030109,विषयशीर्ष–0109.31.06सहायक अनुदान–गैर वेतन	331.50	113.46
मुख्य शीर्ष–2401, फसल कृषि कर्म, मांग संख्या–01, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना,उपशीर्ष–0117 बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड–01–2401007890117, विषय शीर्ष–0117.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	64.00	21.87
मुख्य शीर्ष–2401, फसल कृषि कर्म, मांग संख्या–01, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–0140–बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्रकोड–01–2401007960140,विषयशीर्ष–0140.31.06सहायक अनुदान–गैर वेतन	4.00	1.37
योग	**399.50**	**136.70**

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार, पटना होंगे। स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा बी0टी0सी0 फार्म–42 पर सचिवालय, कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा राशि बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी के पी0एल0 खाता संख्या– 269 में जमा की जायेगी।

10. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या– पी0पी0एम0–86/06 के पृ0 सं0–21/टि. पर दिनांक 25.01.2017 को प्राप्त है।

11. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–86/2016 के पृ0सं0– 28/टि0 पर दिनांक–09.05.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

18.5.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–86/2016 2083 /कृ0, पटना, दिनांक 19/5/ 2017

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.5.2017

प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–86/2016 2083 /कृ0, पटना, दिनांक 19/5/ 2017

प्रतिलिपि : मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/योजना एवं विकास विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.5.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–86/2016 2083 /कृ0, पटना, दिनांक 19/5/ 2017

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.5.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–86/2016 2083 /कृ0, पटना, दिनांक 19/5/ , 2017

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, बीज प्रमाणन एजेन्सी, पटना/संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित उप निदेशक (शष्य)/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना एवं उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18.5.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2017-18\Seed Certification Agency (Organic).docx

<u>अनुसूची–1</u>

बिहार राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणन एजेन्सी अंतर्गत बिहार राज्य जैविक प्रमाणन एजेन्सी के लिए वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 तक विभिन्न स्रोतों से संभावित प्राप्ति, विभिन्न मदों में व्यय तथा <u>सहायक-अनुदान राशि का वर्षवार आकलन</u>

(क) विभिन्न मदों में खर्च राशि का विवरण–

(वित्तीय इकाई–रूपये में)

क्र0 सं0	घटक / मद का नाम	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	स्थापना में व्यय	900000	7773336	7872820	8752252	25298408
2.	जैविक प्रमाणन कार्य हेतु आवेदन पत्र,प्रमाणन पत्र	100000	270000	470000	620000	1460000
3.	वाहन आदि पर व्यय	200000	1400000	196000	196000	1992000
4.	कार्यालय कम्प्यूटरीकरण एवं अन्य कार्य	369000	1000000	277000	77000	1723000
5.	प्रशिक्षण	250000	250000	300000	300000	1100000
6.	मिट्टी, जल, हैवी मेटल एवं ऑरगेनिक उत्पाद का जाँच शुल्क	500000	500000	500000	500000	2000000
7.	पदाधिकारी / उत्पादक एवं ऑपरेटर का राज्य के बाहर शैक्षणिक भ्रमण(25 समूह में)	285000	400000	350000	350000	1385000
8.	प्रमाणीकरण कार्य हेतु कृषक / उत्पादक समूह को अनुदान	2500000	10000000	12000000	13393040	37893040
	कुल व्यय	5104000	21593336	21965820	24188292	72851448
(ख)	कुल संभावित आय	85000	150000	215000	430000	880000
(ग)	सहायक अनुदान की आवश्यकता	5019000	21443336	21750820	23758292	71971448